



Office of the Accountant General (A&E), Kerala,

P.B.No.5607, M.G.Road, Thiruvananthapuram-695039,

Phone: 0471-2330311, Fax: 0471-2330242.

P19/II/DRSSA-71/UP

Dated: 07/11/2016

To

All District/Sub Treasury Officers

Sir,

Sub: Rate of Minimum Pension and Minimum Family Pension to the Pensioners/Family Pensioners of Uttar Pradesh State reg.

Ref: 1.SSA No.Pension Miscellaneous/LID-15984,20108/753 dated 07/09/2016 of Principal Accountant General (A&E)-II, Allahabad,Uttar Pradesh.
2.OM No. 4/2016/Gen-3-75/X-2016-308/97 T.C dated 21/01/2016 of Finance (General) Section-3, Government of Uttar Pradesh.

I am to enclose herewith copies of Government orders issued by the Government of Uttar Pradesh regarding Rate of Minimum Pension and Minimum Family Pension to the Pensioners/Family Pensioners of Uttar Pradesh State forwarded to this office with SSA by Principal Accountant General (A&E)-II, Uttar Pradesh, in the reference cited. The same is being placed in the official website of this office (www.agker.cag.gov.in) under the link :- ***Treasury endorsement of orders for other states***". A copy of the same may be exhibited on the notice board of the treasury.

Yours faithfully,

(Signature)
21/11/16

Accounts Officer

फ.सा./234

10/2016

Dis/Dr Doss 2/4

7/10/16

P-19
289569
04110



कार्यालय महालेखाकार (ले0 व हक0)द्वितीय
20 सरोजनी नायडू मार्ग उ0प्र0 इलाहाबाद

Phones: Off. 2622625-26 Fax: 0532-2624402

पत्रांक:-पेंशन विविध/LID- 15984,20108/753

दिनांक

07-10-2016

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक0)

आर.सी.

पत्रांक नं० 560, विश्वनाथपुरम

695039

- विषय:- 1. वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या 7/2016-सा-3-180/ दस
-2016-308 (06) /2000 दिनांक 17.03.2016.
2. वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 शासनादेश संख्या 4/2016/सा-3-75/
दस-2016-308/97 टी0सी0 दिनांक 21.01.2016.

महोदय,

उत्तर प्रदेश वित्त विभाग द्वारा जारी उपरोक्त आदेशों की प्रतियाँ संलग्न कर प्रेषित की

जा रही हैं ।

आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत समस्त कोषाधिकारियों
/पेंशन भुगतान अधिकारियों को प्रसारित कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का
कष्ट करें तथा प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने की कृपा करें /

संलग्न:- यथोपरि

भवदीय

लेखाधिकारी/पेंशन विविध

Handwritten notes in red ink at the bottom of the page.

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त(सामान्य)अनुभाग-3

संख्या- 4/ 2016/ सा-3-75 / दस-2016-308/ 97 टी0सी0

लखनऊ : दिनांक : 21 जनवरी, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 01-01-2006 के पूर्व सेवानिवृत्त राज्य सरकार के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/ पारिवारिक पेंशन के दिनांक 01-01-2006 से अभिनवीकरण संबंधी कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-3-1515/ दस-008-308/ 97, दिनांक 08-12-2008 के क्रम में कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-3-1358/ दस-2010, दिनांक 19-07-2010, कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-3-1648/ दस-2010, दिनांक 12-10-2010 एवं संख्या-7/ सा-3-जी0आई0-02/ दस-2014-308/ 97 टी0सी0, दिनांक 14-07-2014 तथा कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-3-1005/ दस-2014-308/ 97 टी0सी0, दिनांक 07-11-2014 द्वारा न्यूनतम पेंशन / पारिवारिक पेंशन की दरें निर्धारित की गयी थीं।

2- पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, कार्मिक लोक शिकायतें एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-38/ 37/ 08 पी0 एण्ड पी0 डब्ल्यू0(ए), दिनांक 28-01-2013 सपठित कार्यालय-ज्ञाप संख्या-38/ 37/ 08 पी0 एण्ड पी0डब्ल्यू0(ए), दिनांक 30-07-2015 द्वारा दिनांक 01-01-2006 से न्यूनतम पेंशन एवं न्यूनतम पारिवारिक पेंशन की दरों में पुनरीक्षण के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम पेंशन एवं न्यूनतम पारिवारिक पेंशन की दरें संलग्न तालिका के अनुसार पुनरीक्षित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3- संलग्न तालिका में दी गयी दरें दिनांक 01-01-2006 से लागू होंगी परन्तु इन आदेशों के अन्तर्गत न्यूनतम पेंशन/ पारिवारिक पेंशन की राशि का निर्धारण किये जाने के फलस्वरूप पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों से कोई वसूली नहीं की जायेगी।

4- पूर्वोक्त कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 19-07-2010, 12-10-2010, दिनांक 14-07-2014 एवं दिनांक 07-11-2014 उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे। उक्त कार्यालय-ज्ञापों की अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

संलग्नक : यथोक्त

अजय अग्रवाल

सचिव, वित्त।

--2/ -

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

